

❖ सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना, कार्यालय पुलिस

उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठा

1- मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2- जनसूचना अधिकारी की शक्तियां / कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा मागी गयी सूचनाओं को अधिनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा (3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित किया जाता है।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य:- अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना को जनपदों से प्राप्त कर जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना है।

3- प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसको सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6 (3) के अन्तर्गत आन्तरित कराना व सूचनाएं प्राप्त होने पर सूचना सम्बन्धित को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराना है।

4- विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त करना व समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होता है।

5- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना व कराना।

6- दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-

(1) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश/जोनल कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्र।

(2) शासन / अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र।

(3) पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्र।

(4) अपीलार्थी प्रार्थना-पत्र।

7- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

9- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

12- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

14- संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण-शून्य

15- इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना उक्त सूचना को इलेक्ट्रनिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

16- लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है-

क्रम सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कार्य
1	श्री कलानिधि नैथानी	पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ/ प्रथम अपीलीय अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध की गयी अपीलों का निस्तारण करना एवं अपीलों का सम्बन्ध मेरठ परिक्षेत्र के अधीनस्थ जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आन्तरित किया जाना।
2	श्री दीपक चन्द्र	प्रधान लिपिक/जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा मांगी गयी सूचना को अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर, सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित किया जाना।
3	श्री योगेन्द्र सिंह	निरीक्षक/वाचक	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना को जनपदों से प्राप्त कर जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।
4	श्री जोगेन्द्र गिरि	मुख्य आरक्षी/सहायक जनसूचना अधिकारी	समस्त अभिलेखों का रखरखाव कराना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों का अद्यतन करना।

17-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


30/12/25
जनसूचना अधिकारी
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ